

जल जीवन मिशन, जलपद-  
ग्राम कार्य योजना (पी.ए.पी.)

जल सार्वजनिक रूप से निर्धारित की पर्याप्त करना जो ग्राम सभ्यता की "जीवन सुगमता" को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् की.डब्ल्यू.एस.सी./ग्रामीण समिति/पंचायत सभ्यता आदि द्वारा नियंत्रित की जाती है और की.डब्ल्यू.एस.एस. को प्रस्तुत करने वाले जल सभ्यता के अनुमोदित की जाती है। आई.एस.ए. द्वारा निर्धारित सार्वजनिक पंचायत की जाती है।)

1. तैयारी की तारीख-

ग्राम सभा में अनुमोदित की तारीख- 2/2/23

की.डब्ल्यू.एस.एस. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख- 4/2/23

ग्राम पंचायत का नाम- 4/10/17

(वही लागू हो तो, वस्तुस्थिति की संख्या और उनके नाम) ब्लॉक का नाम- 2/2/17  
जिला का नाम- 28/17  
राज्य का नाम- 20/17

1. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम सभ्यता की आकांक्षा : (संख्या) ग्रामों कुर्छों का और (संख्या) कचड़े पाने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् पंच निर्धारित गुणवत्ता वाले एल.पी.सी.डी. जल क आपूर्ति एवं ताल

ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध करने के लिए एक.एच.टी.सी. प्रदान करना

एच. ग्राम सभ्यता के लोग, अपनी अंत:ग्राम जल आपूर्ति अवसरता के अवनत्य, प्रबंधन, पंचायत और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। एच अपने जल निकालों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संद्विध नहीं करेंगे। एच अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने नौठे पानी को बचाएंगे।

यदि संकल्प दिया जाता है कि पूजा लागत का % प्रदान और रख रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जायेगा और जल आपूर्ति के प्रदान में योगदान दिया जायेगा

\*पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.डी.डी./ओर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जायेगा

1) ग्राम पंचायत और या इसकी उप समिति उप अर्थात् की.डब्ल्यू.एस.सी./ग्रामीण समिति पंचायत सभ्यता आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गांव में जल आपूर्ति योजना की आयोजन कार्यान्वयन प्रबंधन पंचायत और रख रखाव का नेतृत्व करेगी

ग्राम पंचायत और या इसकी उप समिति- उप समिति

समिति को क्या करा जाता है- ग्राम पंचायत एवं स्वच्छता समिति

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | लिंग-पुरुष/महिला | आयु- |
|---------|--------------|------------------|------|
| 1.      | श्री. अशोक   | पुरुष            | 30   |
| 2.      | श्री. अशोक   | पुरुष            | 41   |
| 3.      | श्री. अशोक   | पुरुष            | 41   |
| 4.      | श्री. अशोक   | पुरुष            | 41   |
| 5.      | श्री. अशोक   | पुरुष            | 41   |
| 6.      | श्री. अशोक   | पुरुष            | 41   |
| 7.      | श्री. अशोक   | पुरुष            | 41   |
| 8.      | श्री. अशोक   | पुरुष            | 41   |
| 9.      | श्री. अशोक   | पुरुष            | 41   |
| 10.     | श्री. अशोक   | पुरुष            | 41   |
| 11.     | श्री. अशोक   | पुरुष            | 41   |
| 12.     | श्री. अशोक   | पुरुष            | 41   |
| 13.     | श्री. अशोक   | पुरुष            | 41   |
| 14.     | श्री. अशोक   | पुरुष            | 41   |
| 15.     | श्री. अशोक   | पुरुष            | 41   |

III. सामान्य विवरण

| 2011 की जनगणना के अनुसार   |       | जनसंख्या |       |
|--|-------|----------|-------|
| ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के नाम  | योग   | पुरुष    | महिला |
| 40000  | 40000 | 20000    | 20000 |
| ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के नाम <th>योग</th> <th>पुरुष</th> <th>महिला</th> | योग   | पुरुष    | महिला |
| 40000  | 40000 | 20000    | 20000 |
| जनसंख्या   | 1600  | 1700     | 700   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| एम.जी.एस.आर.ई.जी.एस.  | ग्रामीण विकास मंत्रालय                                       | प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एम.आर.एस.) परटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ  |
| एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)                      | भूमि संसाधन विभाग  | वाटरशेड प्रबंधन/आर.डब्ल्यू.एम./एचिम पुनर्भरण, जल विकास का निर्माण/बूढ़ा आदि।                                      |
| जल मंत्रालय की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग                   | बड़े जल मंत्रालय का जीर्णोद्धार   |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.पी.आई.)                                 | कृषि, सरकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय                      | वाटरशेड से संबंधित कार्य  |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.आई.)                          | कृषि सरकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय                       | जल की अधिक वास्तव वाली विभिन्न फसलों के लिए सूक्ष्म-सिंचाई का प्रावधान, एकीकर्स से जल की विकास को काम करने के लिए |
| क्षेत्रीयक ग्रामीण कृषि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण                       | प्रशासन, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय                      | विकास आदि   |
| प्रधानमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना (पी.एम.के.एस.आई.)                      | कौशल विकास और उद्योगिता मंत्रालय                             | आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए क्षेत्रीय विकास, प्रशिक्षण आदि                          |
| समग्र शिक्षा  | मानव संसाधन विकास मंत्रालय                                   | स्कूलों में पंचजल आपूर्ति का प्रावधान   |
| आकाशी जल कार्यक्रम  | नीति आयोग  | जिला करमेट्ट के पास उपलब्ध विद्युतधारा प्रियियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ                                     |
| जिला खनिज विभाग निधि (डी.एम.एफ.)  | राज्य  | बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ  |
| एम.पी.एस.ए.डी.  | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.) | अंतःग्राम अवरसंरचना   |
| एम.एस.ए.एस.ए.डी.  | राज्य  | अंतःग्राम अवरसंरचना   |
| संविधान के अनुच्छेद 275 (1)   | जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य                          | अंतःग्राम अवरसंरचना   |
| के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (पी.एस.एस.)                                |  |   |
| दानदाता/प्रायोजक  |  |   |

अध्यक्ष का हस्ताक्षर अमित शाह

पी.एस.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (बूढ़े लागू से) अमित शाह

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि का अध्यक्ष :

प्रयोक्त सचिव का नाम और फोन नंबर :

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर :

पानी की गुणवत्ता की जाँचो सुनिश्चित करने के लिए पाठ भरितियों के नाम और फोन नंबर :

1. नीरज

2. पद्मेश

3. अमित

4. दीप

5. अमित